न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 74 / 2022 दायरा दिनांक : 25.05.2022

उनवान

नरेन्द्र कुमार पुत्र देवीशंकर, जाति ब्राहमण, निवासी पाटोन्दा, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– प्रदीप कुमार पुत्र शांति लाल, जाति ब्राहमण, निवासी 5 सी 12 महावीर नगर तृतीय कोटा

2– अमिता पुत्री शांति लाल पत्नी प्रकाश चन्द, जाति ब्राहमण, निवासी 5 सी 12 महावीर नगर तृतीय कोटा

3– श्रेया पुत्री प्रदीप कुमार आयु 21 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी 5 सी 12 महावीर नगर तृतीय कोटा

4– सौम्या पुत्री प्रदीप कुमार आयु 19 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी 5 सी 12 महावीर नगर तृतीय कोटा

5– धनुष आयु 14 वर्ष, नाबालिग पुत्र प्रदीप कुमार नाबालिग जरिये वली माता वृन्दा पत्नी प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी 5 सी 12 महावीर नगर तृतीय कोटा

6– शारदा बाई बेवा विजय कमार, जाति ब्राहमण, निवासनी ग्राम डीपौरा वाया मेडाघाट जिला जबलपुर मध्यप्रदेश

7– शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, अन्ता, जिला बारां

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

8— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री दीनानाथ गालव अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 3, 4, 5

की ओर से तथा शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.04.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अन्ता जिससे वाद संख्या — 169/2014 वास्ते सिविल प्रकिया संहिता की धारा 11 पूर्व न्याय के अवलोकन से प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाकर मूल वाद खारिज किया गया।

निर्णय दिनांक : 24.07.2023

1— वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि—

2— यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 0.2900 हेक्टर, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.2200 हेक्टर, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.3400 हेक्टर, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.2300 हेक्टर, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.3800 हेक्टर, खसरा नम्बर 261 रकबा 0.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 265 रकबा 0.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.6100 हेक्टर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.2600 हेक्टर, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.10000 हेक्टर, खसरा नम्बर 392 रकबा 1.4800 हेक्टर, खसरा नम्बर 428 रकबा 4.9600 हेक्टर, खसरा नम्बर 497 रकबा 0.0500 हेक्टर, खसरा नम्बर 501 रकबा 0.4600 हेक्टर, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.2200 हेक्टर, खसरा नम्बर 512 रकबा 0.1200 हेक्टर, खसरा नम्बर 537 रकबा 0.5100 हेक्टर, खसरा नम्बर 562 रकबा 2.2600 हेक्टर, खसरा नम्बर 602 रकबा 0.4000 हेक्टर, खसरा नम्बर 606 रकबा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

3.7500 हेक्टर, खसरा नम्बर 665 रकबा 0.1300 हेक्टर, खसरा नम्बर 666 रकबा 2.7200 हेक्टर, खसरा नम्बर 704 रकबा 0.0900 हेक्टर, खसरा नम्बर 706 रकबा 2.6000 हेक्टर, खसरा नम्बर 707 रकबा 1.4100 हेक्टर, खसरा नम्बर 755 रकबा 0.4300 हेक्टर, खसरा नम्बर 756 रकबा 1.9200 हेक्टर, खसरा नं. 756/1254 रकबा 2.9200 हेक्टर, खसरा नम्बर 828 रकबा 0.6500 हेक्टर, खसरा नम्बर 829 रकबा 0.4300 हेक्टर, खसरा नम्बर 835 रकबा 0.1500 हेक्टर, खसरा नम्बर 836 रकबा 1.3200 हेक्टर, खसरा नं. 860 रकबा 0.4100 हेक्टर, खसरा नम्बर 1093 रकबा 0.1900 हेक्टर कुल क़िता 34 कुल रकबा 32.6900 हेक्टर वाके ग्राम बालाखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां में स्थित है।

3— जिसके सैटलमेंट के पूर्व के खसरा नम्बर 47 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 192 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 201 मि रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 154 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 155 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 156 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 158 मिन रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 237 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 246 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 90 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 337 रकबा 33 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 322 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 305 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 320 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 309 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 292 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 285 रकबा 16 बीघा, खसरा नम्बर 440 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 451 मिन रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 575 मिन रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 576 मिन रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 560 रकबा 46 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 548 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 451 रकबा 24 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 584 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा स्थित चली आ रही है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4— यह कि वाद पत्र की चरण नम्बर 1 में वर्णित कृषि भूमि पक्षकारान की पैतृक है जिसका बंटवारा पक्षकारान के पूर्वजों के समय ही कर लिया गया था तथा बंटवारे की अन्तिम डिक्री राजीनामे के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा जर्ये मि. नं. 164/70 दिनांक 29.05.1970 को जारी कर दी गई थी। बंटवारा के अनुसार पूर्व खसरा नम्बर 237 रकबा 33 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 90 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 285 रकबा 16 बीघा वादी के हिस्से में आयी थी।

5— इसी अनुरूप वादी शांतिपूर्वक अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं किन्तु पूर्व वाद में वादिनी प्रतिवादी संख्या 6 थी उसने डिक्री की इजराय नहीं करवायी इसी का लाभ उठाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 जमाबंदी में अपना नाम दर्ज होने के कारण नाजायज तरीके से भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हैं इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रतिवादी संख्या 1 ने गत असाढ में वादी को धमकी दी कि इस जमीन पर अब मैं कब्जा करूंगा जमीन मेरे नाम है उस समय बमुश्किल वादी ने सोयाबीन की फसल अपने हिस्से की भूमि पर बोयी किन्तु अभी गत दिनांक 08.10.2014 को प्रतिवादी ने गांव में आकर धमकी दी कि जमीन मेरे नाम है सोयाबीन की फसल मैं काटूंगा यदि तुमने सोयाबीन काटने की कोशिश की तो तुम्हे तथा तुम्हारे परिवार को जान से खत्म कर दूंगा। यही वाद कारण है।

6— वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के अनुसार तथा कोटुम्बिक समझौते में आयी कृषि आराजी जिसका वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णन है का अपने आपको खातेदार घोषित करवा कर अपने हिस्से की भूमि पृथक से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवाये तथा पूर्व के निर्णय एवं डिक्री के अनुसार भूमि का बंटवारा करवाये साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें कि वे वादी के हिस्से की कृषि भूमि में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

करें न अन्य से करावें, ना ही विवादित भूमि को किसी भी भू भाग को रहन अथवा बय करें।

7— यह कि वाद कारण अन्तिम बार दिनांक 08.10.2014 को पैदा हुआ इस कारण वाद राजस्थान काश्तकारी कानूनों के प्रावधानों के अनुसार अवधि मध्य पेश है।

8— यह कि राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता भूमि धारी होने से वाद में आवश्यक पक्षकार है इस कारण प्रतिवादी बनाया है। चूंकि विवाद प्राईवेट पक्षकारान के मध्य है, इस कारण 80 सी. पी. सी. के नोटिस के अभाव में वाद पेश है।

9— यह कि प्रतिवादीगण 1, 3, 4, 5, 6 ने भूमि को वादग्रस्त कर रखा है तथा शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा ने बिना जांच किये ही भूमि पर ऋण दे रखा है इस कारण उसे प्रतिवादी 8 बनाया गया है।

10— यह कि विवादित भूमि ग्राम बालाखेडा, तहसील अन्ता, जिला बारां राजस्थान में स्थित है। इस कारण श्रीमान् न्यायालय को वाद श्रवण प्रभुत्व प्राप्त है।

11— अतः निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री फरमाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चे सहित फरमावें।

12— यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का विधिवत पक्षकारान के मध्य बंटवारा किया जाकर वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णितानुसार वादी के हिस्से की भूमि का वादी को खातेदार घोषित कर वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान करें।

13— यह कि प्रतिवादीगण 1 ता 6 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करें कि वे वादी के हिस्से एवं कब्जे की कृषि भूमि पर वादी के शांति एवं वैध कब्जे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें, न अन्य से करावें, न ही भूमि को रहन, बय करें।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

14– अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –

15– प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत कर निम्न निवेदन प्रतिवादी की ग्राम बालाखेड़ा में कुल कित्ता 34 रकबा 32.69 हेक्टर भूमि के खातेदार एवं काबिज काश्तकार होकर अपने पिता शांतिलाल के जीवनकाल से राजस्व रेकार्ड में दर्ज चले आ रहे है। विवादित आराजी पर मेरे पिताजी शांतिलाल जी दत्तक पुत्र जुगल किशोर थे, जो राजस्व रेकार्ड में जुगल किशोरे के जीवनकाल से काबिज काश्त चले आ रहे हैं और वर्तमान में भी काबिज काश्त हैं। वादी विवादित आराजी का सहखातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से वादी राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, एवं 92(2) आर. टी.एक्ट के तहत वाद नहीं ला सकता है, इस कारण वादी का वाद प्रथम दृष्टया ही मेन्टेबल नहीं होने से आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

16– यह कि वादी के पिता देवीशंकर आत्मज रामकिशन जी था। देवीशंकर जी के 4 पुत्र कमशः नरेन्द्र कुमार, मांगीलाल, विजय कुमार, शांतिलाल थे, इनमें से शांतिलाल जुगलकिशोर के दत्तक पुत्र चला गया था, इस प्रकार शांतिलाल दत्तक पुत्र जुगल किशोर जमाबंदी संवत 2015–2024 से प्रमाणित है और संवत 2015 से शांतिलाल दत्तक पुत्र जुगल किशोर काबिज काश्त है और शांतिलाल जी की मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक वारिस प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं।

17– वादी विवादित भूमि का सहखातेदार नहीं है। वादी केवल मात्र देवीशंकर आत्मज रामकिशन के खाते की भूमि पर ही विभाजन का दावा ला सकता है क्योंकि वादी देवीशंकर का पुत्र है। जुगलकिशोर का पुत्र नहीं है। इस प्रकार वादी विवादित आराजी का सहखातेदार नहीं होने से वादी राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, एवं 92ए

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आर.टी.एक्ट के तहत वाद नहीं ला सकता है। इस कारण वादी का वाद प्रथम दृष्टया मेन्टेबल नहीं होने से आदेश-7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

18— यह कि वादी ने पूर्व में भी एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट वाद संख्या 164/1970 का प्रस्तुत किया था उसमें भी वादी सहखातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं था फिर भी उपखण्ड अधिकारी, बारां के निर्णय दिनांक 29.05.1970 को विभाजन की डिक्री जारी कर दी गई तथा उक्त डिक्री डिफेक्टिव डिक्री थी, जिसकी पालना तहसीलदार अन्ता द्वारा नहीं की गई थी और पालना नहीं करने के उपरान्त इस निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.1970 अपील अपीलीय न्यायालय में वादीद्वारा नहीं की गई। इस प्रकार वादी को धारा 11 जाब्ता दीवानी के मुताबिक डिक्री की पालना नहीं होने के उपरान्त वादी को न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी जो नहीं की गई। इस आधार पर वादी का वाद मेन्टेबल नहीं होने से अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत वादी का वाद मेन्टेबल योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। क्योंकि वादी वाद रेसज्यूडिकेटा की श्रेणी में आता है, इस कारण धारा 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के तहत वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

19— यह कि वादी को पूर्व प्रकरण संख्या 164/1970 में समान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने पूर्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.1970 में कर दिया गया था तो वादी पुनः विभाजन का वाद समान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता में लाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि दोनों न्यायालय समान न्यायालय है और दोनों का समान क्षेत्राधिकार है और समान न्यायालय का पूर्व प्रकरण संख्या 164/1970 में निर्णय व डिक्री जारी कर दी गई थी। अब पुनः निर्णय और डिक्री जारी करने का अधिकार श्रीमान् के न्यायालय को नहीं है क्योंकि विवादग्रस्त आराजी समान है, पक्षकार समान है, वादी ने वाद पेश किया है वह पूर्व प्रकरण संख्या 164/1970 के निर्णय व डिक्री को आधार बनाकर पेश किया है

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जो रेसज्यूडिकेटा की श्रेणी में आता है। इस कारण वर्तमान में श्रीमान् के न्यायालय को पुनः निर्णय व डिक्री जारी करने का अधिकार नहीं है। इस कारण वादी का वाद मेन्टेबल नहीं है, खारित किये जाने योग्य है।

20— यह कि वादी ने जो वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 एवं 92ए आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत किया। प्रकरण संख्या 164/1970 निर्णय दिनांक 01.05.1970 को विभाजन की डिक्री पारित की हुई है जिसको आधार बनाकर नया दावा 44 वर्षों बाद प्रस्तुत किया है जिसका वादी का दावा पूर्णरूपेण अवधि बाहर होने से वह राजस्व रेकार्ड में सहखातेदार दर्ज नहीं होने से वादी का वाद मेन्टेबल होने योग्य है, खारिज योग्य है जो 1991(1) आर एल आर पेज नं. 279 सिद्धांतों पर आधारित है जो पूर्व डिक्री दिनांक 29.05.1970 के आधार पर 44 वर्ष बाद मियाद बाहर नया विभाजन का वाद नहीं ला सकता है क्योंकि समान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आर एल आर पेज 279 सिद्धांतों पर आधारित है जो पूर्व डिक्री दिनांक 29.05.1970 के आधार पर 44 वर्ष बाद मियाद बाहर नया विभाजन का वाद नहीं ला सकता है क्योंकि समान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारों के पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.1970 को पारित किया जा चुका है इस प्रकार समान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता को कानूनन वादी का वाद सुनने का अधिकार नहीं है । मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। (Limititation Act, 1963, Art. 136)

21— यह कि वादी ने जो खसरा नं. 285 की रकबा 16 बीघा, खसरा नं. 90 की रकबा 11 बीघा, खसरा नं. 337 की रकबा 33 बीघा जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 562 रकबा 2.26, खसरा नं. 392 रकबा 1.48, खसरा नं. 428 रकबा 4.96 हेक्टर कुल 8.70 हेक्टर भूमि का खातेदार जमाबंदी संवत 2015 से 2024 व संवत 2036 से 2039 व जमाबंदी में एकल जोत शांतिलाल मु0 जुगलकिशोर मुतबना जुगलकिशोर दर्ज रेकार्ड है जिससे वादी सहखातेदार दर्ज नहीं है व वर्तमान में प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 7 शांतिलाल की मृत्यु के पश्चात् विधिक वारिस दर्ज रिकोर्डएवं काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादी पूर्व निर्णय

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

व डिक्री दिनांक 29.05.1970 के आधार पर विभाजन का दावा लेकर प्रस्तुत हुआ है जो स्पष्ट या मियाद बाहर व रेसज्यूडिकेटा की श्रेणी में होने के कारण वादी का वाद प्रथम दृष्टया मेन्टेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। यह कि प्रतिवादी के पिता के खाते में संवत 2015–2024 की जमाबंदी व 2036–2039 की जमाबंदी में शांतिलाल की मृत्यु के बाद से ही प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5 विधिक वारिस खातेदार होकर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादी ने वाद 48 वर्ष के बाद पेश किया है जिसका आधार पूर्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बारां के निर्णय दिनांक 29.05.1970 को आधार बनाकर पेश किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

22– सि.प्र.सं., आदेश 7 नियम 11 सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 188 एवं 138 – घोषणा, विभाजन एवं कब्जे हेतु वाद नामान्तरकरण प्रतिवादीगण के पक्ष में था – 40 वर्ष बाद वाद दायर किया– अभिनिर्धारित–वादी द्वारा दायर वाद बिना किसी सारभूत वाद हेतु के, स्थूल रूप से विलम्बित और स्पष्ट रूप से तंग करने वाला और तुच्छ होने के कारण आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किये जाने योग्य है। (RLW 2015 (1) R (2002) 10 SCC 501) की नजीरे पेश की।

23– अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद मेन्टेबल योग्य नहीं होने से खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

24– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल फाईल किया गया जिसमें अप्रार्थी वादी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार है :–

(1) यह कि प्रार्थना पत्र चरण कम 1 स्वीकार नहीं है एवं लेख है कि धारा 88, 89, 53, 188 व 92(2) के एल आर एक्ट तहत वाद पोषणीय है शेष आपत्तियां विशेष कथन में दर्ज है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(2) यह कि प्रार्थना पत्र चरण कम 2 स्वीकार नहीं है एवं शेष आपत्तियां विशेष कथन में दर्ज है।

(3) यह कि प्रार्थना पत्र चरण कम 3 स्वीकार नहीं है एवं लेख है कि शेष आपत्तियां विशेष कथन में दर्ज है।

(4) यह कि प्रार्थना पत्र चरण कम 4 स्वीकार नहीं है एवं लेख है कि शेष आपत्तियां विशेष कथन में दर्ज है।

(5) यह कि प्रार्थना पत्र चरण कम 5 स्वीकार नहीं है एवं शेष आपत्तियां विशेष कथन में दर्ज है।

(6) यह कि प्रार्थना पत्र चरण कम 6 स्वीकार नहीं है एवं शेष आपत्तियां विशेष कथन में दर्ज है।

(7)यह कि प्रार्थना पत्र चरण कम 7 स्वीकार नहीं है एवं शेष आपत्तियां विशेष कथन में दर्ज है। एवं प्रार्थी कि प्रार्थना स्वीकार नहीं है।

विशेष कथन

(8) कानून बिना तनकी कायम हुए आर्डर 7 रूस 11 का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

(9) यह कि प्रतिवादीगण ने अभी तक जवाब दावा पेश नहीं किया है जबकि जवाबदावा पेश करें एवं इसके बाद बनी तनकीयात पर निर्णय होगा।

(10) यह कि वास्तविकता यह है कि वाद के चरण कम 1 में वर्णित कृषि पैतृक भूमि है जिसका बंटवारा पक्षकारान के पूर्वजों के समय कर लिया गया था तथा बंटवारे कि अंति डिक्री राजीनामे के आधार पर एसडीओ, बारां द्वारा जर्ये मि.नं. 164/70 दिनांक 25.05.1970 को जारी कर दी थी, बंटवारे के अनुसार पूर्व खसरा नं. 237 रकबा 33 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 90 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 285 रकबा 16 बीघा वादी के हिस्से में आयी थी, इसी अनुरूप वादी शांति पूर्वक अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। यह

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कि प्रतिवादीगण जान बूझकर मामले को लम्बा करने कि गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज होने गया है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

25– उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है –

(1) यह कि सम्मानीय न्यायालय में वादी द्वारा पेश वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 व 92–ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद कई बार समय लेने के पश्चात् भी अपना जवाब दावा पेश न कर तत्पश्चात् मात्र वादी के वाद को लम्बा करने व निर्णित न होने देने की दुर्भावना से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत कर दिया, जिसका जवाब वादी द्वारा दिया जा चुका है। प्रतिवादीगण द्वारा पेश अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी सर्वथा आधारहीन तथ्यों व सबंधित कानून के विपरीत व उसकी परिधि (SCPE) में ही नहीं आने व प्रोविजन्स लागू न होने के कारण पोषणीय ही नहीं हो सकता। वादी ने अपनी मौखिक बहस के उपरान्त सम्मानीय न्यायालय द्वारा लिखित बहस भी पेश करने के आदेश के कम में वादी यह लिखित बहस भी अपनी ओर से सम्मानीय न्यायालय में न्यायिक दृष्टान्तों की प्रतियों के साथ प्रस्तुत कर रहा है।

(2) यह कि आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के मात्र निम्न आधार (Grounds) है–

क– जहां वाद हेतु का प्रकट नहीं होता

ख– जहां दावाकृत अनुतोष मूल्यांकन कम किया हो और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियम किया हो, ऐसा करने में असफल रहता है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ग– जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है, किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय के नियम किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

घ– जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

ड– जहां यह दो प्रतियों में पेश नहीं किया गया है।

च– जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

(3) यह कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी में जो मुख्य आधार वर्णित किये हैं, उनमें धारा 11 जाब्ता दीवानी पूर्व न्याय () व अवधि बाधित ( ) का वर्णत मुख्यतः किया गया है।

(4) यह कि उक्त संबंध में सम्मानीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के अन्तर्गत वाला ही है और आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के उक्त वर्णित कुल 6 आधारों में यह आधार की भी उपलब्ध ही नहीं है कि पूर्व न्याय ( ) व अवधि बाधित ( ) भी हो। अर्थात प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 के अन्तर्गत विवाद की विषयवस्तु न होने से पोषणीय न होने के कारण निरस्तनीय है।

(5) यह कि प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 11 जाब्ता दीवानी वाला नहीं है। इस कारण से प्रतिवादीगण अपने पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी को सम्मिलित मनमर्जी रूप से करने के अधिकारी नहीं हो सकते। कानूनी स्थिति यह है कि प्रतिवादीगण इस बारे में अपने पेश प्रतिवाद पत्र जवाबदावे में अपनी इस संबंध में आपत्ति उठाने को स्वतंत्र है, जो ऐसी धारा 11 जाब्ता

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दीवानी रेसज्यूडीकेटा की परिस्थिति आने पर वह विधि अनुसार तय की जा सकेगी।

(6) यह कि इस संबंध में अपने प्रार्थना पत्र में जो तथ्य प्रतिवादीगण ने वर्णित किया है, वह पूर्व न्याय () बाबत है। प्रथमतः तो यह बिन्दु आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के अन्तर्गत दिये गये कुल आधारों में शामिल ही नहीं है, द्वितीयतः वादी द्वारा पेश इस वाद में धारा 11 जाब्ता दीवानी के प्रोविजन्स ही लागू नहीं होते हैं। इस अनुसार इस सम्मानीय न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी अभिवचन, साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य ही नहीं है, जो धारा 11 जाब्ता दीवानी के प्रोविजन्स, इस वाद पर लागू कर सकते हो। वैसे भी प्रतिवादीगण का पेश प्रार्थना पत्र मात्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का है, न कि धारा 11 जाब्ता दीवानी का फिर भी इस संबंध में निवेदन है कि रेसज्यूडीकेटा (पूर्व न्याय) या धारा 11 जाब्ता दीवानी को लिख देने मात्र से कोई वाद रेसज्यूडीकेटा की परिधि में नहीं आ जाता। पूर्व में तथाकथित चले वाद की विषयवस्तु पक्षकारान् व इस विचाराधीन वर्तमान वाद की विषयवस्तु पक्षकारान व अनुतोष भी भिन्न भिन्न है और इसके अलावा पूर्व तथाकथित वाद का अंतिम रूप से अनुतोष अनुरूप की भी निस्तारण ही नहीं हुआ। वैसे भी कानूनी स्थिति यह है कि रेसज्यूडीकेटा का बिन्दु तथ्यात्मक व कानूनी () से संबंधित है, जो बिना समुचित साक्ष्य सबूत के तय नहीं किये जा सकते। इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त निम्नानुसार है ।

आर.आर.डी. 2009 पेज 808 का पैरा संख्या 5 व पैरा संख्या 12 मुख्य रूप से अवलोकन योग्य है। आर.आर.डी 2002 पेज 428, आर.आर.डी. 2012 पेज 1 का पैरा 13 मुख्य रूप से अवलोकनीय है। डी.एन.जे. 2010 फर्स्ट पेज संख्या 221, डी.एन.जे. 2018 फर्स्ट पेज संख्या 115 राजस्थान में सम्मानीय न्यायालय उच्च न्यायालय-जयुपर बैन्चखण्ड द्वारा पैरा ख यह अवधारित किया हुआ है कि मियाद के आधार पर जो कि तथ्यों व कानून का मिश्रित प्रश्न है एवं रेसज्यूडीकेटा के आधार पर वाद पत्र खारिज ही नहीं किया जा सकता।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(7) यह कि प्रतिवादीगण द्वारा अन्य आधार अवधि बाधित ( ) होना वर्णित कर दिया तथा इस अनुसार वाद को ही निरस्त करने की प्रार्थना कर दी. इस संबंध में माननीय न्यायालय का ध्यान आकर्षित करना उचित है कि प्रथमतः तो संबंधित प्रोविजन्स अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी में अवधि बाधित का कोई आधार ही वर्णित नहीं है, इस कारण अवधि बाधित का आधार किसी भी रूप में प्रतिवादीगण अपने पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी को लेने के अधिकारी ही नहीं हो सकते। यदि फिर भी कानूनी बिन्दु का इस संबंध में अवलोकन करें, तो अवधि बाधित का बिन्दु/प्रश्न, विधि, तथ्य व साक्ष्य का मिश्रित प्रश्न () वाला है, जिसे यदि प्रतिवादीगण अपने पेश प्रतिवाद पत्र में उठाते हैं, तो वह बाद कायमी तनकीयात साक्ष्य से ही तय हो सकेगा। वैसे भी वाद का यह वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा,इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का है, इस प्रकार के वाद व अनुतोष को चाहने में कोई मियाद ही कही पर निश्चित की हुई नहीं है। अर्थात इस प्रकार के अनुतोष का वाद पेश करने में कोई मियाद बिन्दु बाबत सीमा नहीं है।

(8) यह कि प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त के अलावा यदि बोर्ड लॉ ( ) के संबंध में कथन किये जाते हैं तो वह भी वाद के वाद में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा बार्ड बाई एनीलॉ बाबत विधि द्वारा वर्जित तथ्य वाली बात में यह कही भी नहीं बताया है कि वादी द्वारा पेश वाद कौनसी विधि (लॉ) से वर्जित होता है, ऐसी कोई भी विधि का वर्णन प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पनत्र में वर्णित नहीं किया है। आर. आर.डी. 2009 पेज 808, डी.एन.जे. 2010(थर्ड) पेज संख्या 1283 में भी यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह तय किया है कि विबन्धन के बिन्दु पर वाद पत्र खारिज ही नहीं किया जा सकता। उक्त के अलावा डी.एन.जे. 2011 (थर्ड) राजस्थान पेज संख्या 1066 के इम्पोटेन्ट पोइट नोट व पैरा 9 में भी अवधारित किया गया है कि प्रतिवादीगण को तो आर्डर 7 रूल 11 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश करने का ही अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी को लागू करने की अधिकारिता मात्र सम्मानीय

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय को ही होता है और इसका उपयोग केवल न्यायालय ही अपने स्तर पर कर सकता है। पैरा संख्या 9 में यह वर्णन भी है कि इस संबंध में ध्यान देने योग्य है कि सम्मानीय न्यायालय द्वारा सथी आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के आधारों के संबंध में न्यायालय के मुन्सरिम/रीडर से अपनी रिपोर्ट लेकर ही तत्पश्चात वादी के वाद को श्रवणाधिकार योग्य होना मानकर ही वाद को दर्ज रजिस्टर्ड करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश प्रदान फरमाए है।

डी.एन.जे. 2012 (थर्ड) पेज संख्या 1180 एवं पेज संख्या 1569 में सम्मानीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि न्यायालय को मात्र वाद पत्र के अभिवचनों पर ही अवलोकन करना चाहिए न कि प्रतिवाद पत्र के अभिवचनों पर । आर.आर.डी. 2010 पेज संख्या 737 का पैरा संख्या 9, डी.एन.जे. 2007 सुप्रीमकोर्ट पेज संख्या 281, आर.एल.डब्ल्यू. 2012 (4) पेज संख्या 3401, आर.एल.डब्ल्यू. 2012 (4) पेज संख्या 3371, डी.एन.जे. 2012 (सेकण्ड) राजस्थान पेज संख्या 498, डी.एन.जे. 2013 (रेवेन्यु) राजस्थान पेज संख्या 332

(9) यह कि अब किसी भी पेश वाद में रहे प्रतिवादीगण द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत न करने की दुर्भावना से करीब करीब हर वाद में आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश करने की प्रकिया का अवलम्बन लिया जाने लगा है, जो सर्वथा विधि की प्रकिया का मिस यूज ही होता है, इस कारण से प्रतिवादीगण द्वारा पेश इस वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी को सव्यय निरस्त फरमाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।

26– अतः सम्मानीय न्यायालय में लिखित बहस मय न्यायिक दृष्टान्तों को पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी को सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

27– दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी में लिखित बहस निम्न प्रकार पेश करते हैं –

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(1) यह कि प्रतिवादी की ग्राम बालाखेड़ा में कुल किता 34 रकबा 32 हेक्टर भूमि के खातेदार एवं काबिज काश्तकार होकर अपने पिता शांतिलाल के जीवनकाल से राजस्व रेकार्ड में दर्ज चले आ रहे हैं। विवादित आराजी पर मेरे पिताजी शांतिलाल जी दत्तक पुत्र जुगलकिशोर थे जो राजस्व रेकार्ड में जुगलकिशोर के जीवनकाल से काबिज काश्त चले आ रहे हैं और वर्तमान में भी काबिज काश्त है। वादी विवादित आराजी का सहखातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से वादी राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 एवं 92ए आर.टी.एक्ट के तहत वाद नहीं ला सकता है। इस कारण वादी का वाद प्रथम दृष्टया ही मेन्टेबल नहीं होने से आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(2) यह कि वादी के पिता देवीशंकर आत्मज रामकिशन जी था। देवीशंकर जी के 4 पुत्र कमशः नरेन्द्र कुमार, मांगीलाल, विजय कुमार, शांतिलाल थे, इनमें से शांतिलाल, जुगुलकिशर के दत्तक पुत्र चला गया था। इस प्रकार शांतिलाल दत्तक पुत्र जुगलकिशोर जमाबंदी संवत 2015–2024 से प्रमाणित है और संवत 2015 से शांतिलाल दत्तक पुत्र जुगलकिशोर काबिज काश्त है और शांतिलाल जी की मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक वारिस प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 7 काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादी विवादित आराजी का सहखातेदार नहीं है। वादी केवल मात्र देवीशंकर आत्मज रामकिशन के खाते की भूमि पर ही विभाजन का दावा ला सकता है क्योंकि वादी देवीशंकर का पुत्र है। जुगलकिशोर का पुत्र नहीं है। इस प्रकार वादी विवादित आराज़ी का सहखातेदार नहीं होने से वादी राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 एवं 92ए आर.टी.एक्ट 1955 के तहत वाद नहीं ला सकता है। इस कारण वादी का वाद प्रथम दृष्टया मेन्टेबल नहीं होने से आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(3) यह कि वादी के पक्ष में पूर्व में भी एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 164/1970 का प्रस्तुत

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किया था उसमें भी वादी सहखातेदार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं था फिर भी उपखण्ड अधिकारी, बारां के निर्णय दिनांक 29.05.1970 को विभाजन की डिक्री जारी कर दी गइ थी तथा उक्त डिक्री डिफेक्टिव डिक्री थी जिसकी पालना तहसीलदार, अन्ता द्वारा नहीं की गई थी और पालना नहीं करने के उपरान्त इस निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.1970 अपील अपीलीय न्यायालय में वादी द्वारा नहीं की गई है। इस प्रकार वादी को धारा 11 जाब्ता दीवानी के मुताबिक डिक्री की पालना नहीं होने के उपरान्त वादी का न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी जो नहीं की गई उसी आधार पर वादी का वाद मेन्टेबल नहीं होने से अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत वादी का वाद रेसज्यूडीकेटा की श्रेणी में आता है। इस कारण धारा 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के तहत वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) यह कि वादी को पूर्व प्रकरण संख्या 164/1970 में समान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां ने पूर्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.1970 में कर दिया गया था तो वादी पुनः विभाजन का वाद समान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता में लाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि दोनों न्यायालय समान न्यायालय है और दोनों का समान क्षेत्राधिकार है और समान न्यायालय का पूर्व प्रकरण संख्या 164/1970 में निर्णय व डिक्री जारी कर दी गई थी अब पुनः निर्णय और डिक्री जारी करने का अधिकार श्रीमान के न्यायालय को नहीं है क्योंकि विवादग्रस्त आराजी समान है, पक्षकार समान है। वादी ने वाद पेशें किया है वह पूर्व प्रकरण संख्या 164/1970 के निर्णय व डिक्री को आधार बनाकर पेश किया है जो रेसज्यूडिकेटा की श्रेणी में आता है इस कारण वर्तमान में श्रीमान् के न्यायालय को पुनः निर्णय व डिक्री जारी करने का अधिकार नहीं है इस कारण वादी वाद मेन्टेबल नहीं है खारिज किये जाने योग्य है।

(5) यह कि वादी ने जो वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92ए का प्रस्तुत किया प्रकरण संख्या 164/1970 निर्णय दिनांक 29.05.1970 को

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विभाजन की डिक्री पारित की हुई है जिसको आधार बनाकर नया दावा 44 वर्षों बाद प्रस्तुत किया है जिसका वादी का दावा पूर्ण रूपेण अवधि बाहर होने से वह राजस्व रेकार्ड में सहखातेदार दर्ज नहीं होने से वादी का वाद मेन्टेबल होने योग्य नहीं है, खारिज योग्य् है जो 1991(1) आर एल आर पेज नं. 279 सिद्धांतों पर आधाारित है जो पूर्व डिक्री दिनांक 29.05.1970 के आधार पर 44 वर्ष बाद मियाद बाहर नया विभाजन का वाद नहीं ला सकता है क्योंकि समान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारासं के पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.1970 को पारित किया जा चुका है इस प्रकार समान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता को कानूनन वादी का वाद सुनने का अधिकार नहीं है । दावा स्पष्ट या मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

(6) यह कि वादी ने जो खसरा नम्बर 285 की रकबा 16 बीघा, खसरा नम्बर 90 की रकबा 11 बीघा, खसरा नम्बर 337 की रकबा 33 बीघा बिस्वा जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 562 रकबा 2.26, खसरा नम्बर 392 रकबा 1.48, खसरा नम्बर 428 रकबा 4.96 हेक्टर कुल 8.70 हेक्टर भूमि का खातेदार जमाबंदी संवत 2015 से 2024 व संवत 2036–2039 व जमाबंदी में एकल जोत शांतिलाल मुत्वनपा जुगलकिशोर मुत्वना जुगलकिशोर दर्ज रिकोर्ड है जिससे वादी सहखातेदार दर्ज नहीं है व वर्तमान में प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 7 शांतिलाल की मृत्यु के पश्चात विधिक वारिस दर्ज रिकार्ड एवं काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादी पूर्व निर्णय डिक्री दिनांक 29.05.1970 के आधार पर विभाजन का दावा लेकर प्रस्तुत हुआ है जो स्पष्ट या मियाद बाहर व रेसज्यूडिकेटा की श्रेणी में होने के कारण वादी का वाद प्रथम दृष्टया मेन्टेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(7) यह कि रेस्पोडेंट के पिता के खाते में संवत 2015–2024 की जमाबंदी व 2036–2039 की जमाबंदी में शांतिलाल मुत्वना जुगलकिशोर एकल जोत दर्ज चली आ रही है और प्रतिवादीगण के पिता शांतिलाल की मृत्यु के बाद से ही प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 विधिक वारित खातेदार होकर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादी ने वाद 48 वर्ष के बाद पेश किया है जिसका आधार पूर्व निर्णय उपखण्ड

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधिकारी, बारां के निर्णय दिनांक 29.05.1970 को आधार बनाकर पेश किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के तहत खारिज किये जाने योग्य है। RLW 2015 (1) RJ (HC) की नजीरे पेश है।

28– सि.प्र.स. आदेश 7 नियम 11 सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 88, 188 एव 138 – घोषणा, विभाजन एवं कब्जे हेतु वाद नामान्तरकरण प्रतिवादीगण के पक्ष मे था– 40 वर्ष बाद वाद दायर किया – अभिनिर्धारित – वादी द्वारा दायर वाद बिना किसी सारभूत वाद हेतु के, स्थूल रूप से विलम्बित और स्पष्ट रूप से तंग करने वाला और तुच्छ होने के कारण आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किये जाने योग्य है। याचिका खारिज की ।

29– प्रतिवादीगणों की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद मेन्टेबल योग्य नहीं होने से खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

30– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। आद्योपान्त पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 11 पूर्व न्याय में यह स्पष्ट है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य–विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच, या ऐसे पक्षकारों के बीच, या ऐसे पक्षकारों के बीच, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद बाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चत किया जा चुका है। "पूर्ववर्ती वाद" पद ऐसे वाद का द्योतक है जो

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

प्रश्नगत वाद के पूर्व ही विनिश्चित किया जा चुका है चाहे वह उससे पूर्व संस्थित किया गया हो या नहीं।

31– अप्रार्थी/वादी द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि वाद में वर्णित भूमि पैतृक भूमि है जिसका बंटवारा पक्षकारान के पूर्वजों के समय कर लिया गया था तथा बंटवारे की अन्तिम डिक्री राजीनामे के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा जर्ये मि0 न0 164/1970 दिनांक 29.05.1970 को जारी कर दी गई थी। उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में समान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा समान धाराओं में निर्णय एवं डिक्री पारित किया जा चुका है।

32– अतः सिविल प्रकिया संहिता की धारा 11 पूर्व न्याय के अवलोकन से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मूल वाद दिनांक 06.04.2022 खारिज किया गया।

33– इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –

34– यह कि निर्णय व डिक्री जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व रूऐदाद मिसल होने से काबिल निरस्तनीय है।

35– अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 53, 88, 89, 188 एवं 92ए आर.टी.एक्ट का विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री योग्य होते हुए भी सरसरी तौर पर आर्डर 7 रूल 11 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खारिज करते हुए निर्णय व डिक्री पारित किया है, जो कि विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है व दावा वादी अपीलांट विरूद्ध प्रति0 रेस्पोडेंट सव्यय डिक्री किये जाने योग्य है।

36– यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.1970 प्रकरण संख्या

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

164/1970 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां द्वारा जो विभाजन के बाद में आपसी सहमति से बंटवारे की डिक्री पारित की गई थी वह रूल 18 से 20 की पालना उपरान्त पृथक पृथक खाते दर्ज करने हेतु फाईनल डिक्री जारी करनी थी और उसकी इजराय उपरान्त फाईनल डिक्री अनुसार नामान्तरकरण खोला जाकर रेवन्यू रेकार्ड में नाम दर्ज होने थे, जो नहीं हुए। जबकि आपसी सहमति के अनुसार कब्जा मौके पर प्रारम्भिक डिक्री अनुसार सभी सहखातेदारान का पृथक पृथक मौके पर हो गया था। इसलिए अमल हेतु या तो नया वाद प्रस्तुत कर नई डिक्री पारित कराई जा सकती है, क्योंकि उसका इजराय होकर अमल नहीं हुआ था, इसलिए उक्त दावा माननीय न्यायालय में नियमित रूप से चलने योग्य था। जिसे ऑर्डर 7 रूल 11 के आधार पर खारिज करने में भयंकर कानूनी भूल की है, जो त्रुटिपूर्ण होने से काबिल निरस्तनीय है।

37– प्रतिवादी अपने प्रार्थना पत्र में तीन बिन्दु उठाकर आये हैं, प्रथम तो यह कि उसके पिता व उनकी मृत्यु के बाद निरन्तर 44 वर्षो से वह काबिज चले आ रहे हैं, दूसरा गत 44 वर्षों से कोई कार्यवाही नहीं की, जो अब नहीं कर सकते। तीसरा यह कि बंटवारा पूर्व में हो चुका है, इसलिए दुबारा बंटवारे का वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है जबकि काननून उक्त तीनों बिन्दु एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि संयुक्त खाते की भूमि में जब तक विधिवत बंटवारे की डिक्री की पालना होकर पृथक पृथक खाते दर्ज नहीं हो जावे तब तक सभी सहखातेदारान का समान हक माना गया है। इसलिए प्रस्तुत मामले में एडवर्स पजेशन वाला बिन्दु लागू नही होता है। दूसरा न्यायालय में डिक्री की पालना के लिए किसी भी पक्षकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही न्यायालय द्वारा अमल हेतु तहसीलदार के नाम आदेश की इजराय उपरान्त जारी किया गया है, इसलिए उक्त डिक्री की जब तक पालना कानूनन पूर्ण नहीं हो जावे तब तक फाईनल बंटवारा नहीं माना जा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सकता और धारा 88, 53 में बंटवारे के मामले में कोई अवधि अंकित नहीं की गई है, इसलिए प्रतिवादी द्वारा जो तथ्य प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 में अंकित किये गये हैं वह स्वीकार योग्य नहीं थे और प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य था। जो स्वीकार कर दावा वादी खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है।

38– प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में धारा 11 रेसज्यूकेटा का भी आधार लिया गया है जबकि जब तक किसी न्यायालय द्वारा निर्णय पूर्ण तब तक नहीं होता जब तक उसका रेकार्ड में अमल नहीं हो जाता और पूर्व वाद में ही आपसी सहमति के आधार पर डिक्री पारित की गई थी जिसकी बंटवारा रिपोर्ट न्यायालय से उपरोक्तानुसार तहसीलदार से प्राप्त नहीं हुई थी और फाईनल डिक्री जारी नहीं की गई थी और न फाईनल डिक्री की कोई इजराय प्रस्तुत की गई थी इसलिए अपूर्ण निर्णय व डिक्री पर धारा 11 का प्रावधान लागू नहीं होता है इसलिए भी प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 का खारिज किये जाने योग्य था।

39– प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 स्वयं के कथनों से ही विरोधाभासी है, एक तरफ तो आपसी सहमति से निर्णय व डिक्री बंटवारे की पारित करना स्वीकार करता है दूसरी तरफ उक्त आराजी का अपने आपको तन्हा खातेदार मानता है, जबकि उक्त आराजी पुश्तैनी आराजी है, जिसका बंटवारा होकर नियमानुसार सभी सहखातेदारान अपने पृथक पृथक खाते दर्ज कराने के अधिकारी हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादी अपने कहे गये कथनों से कानूनन एस्टोप्ड है, इसलिए आर्डर 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

40– यह कि किसी भी बंटवारे की डिक्री जो आपसी सहमति द्वारा जारी की गई है, उसके आगे की प्रक्रिया स्वयं न्यायालय की है, न कि पक्षकारों की, जो सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व में जारी डिक्री अनुसार करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। इसलिए वादी ने यह नया वाद प्रस्तुत किया है, जो वर्ष 2014 से माननीय न्यायालय में जैरकार है, जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में जारी की गई थी, जो अपर न्यायालय से यथावत रही, उक्त वाद में जवाब दावा प्रस्तुत हो चुका है, उसके अनुसार तनकी कायम की जाकर विधिवत वाद निर्णित किया जाना न्याय हित में आवश्यक था किन्तु आर्डर 7 रूल 11 के आधार पर इतने वर्षो बाद वादी का वाद खारिज करने में माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है, जो त्रुटिपूर्ण होने से काबिल निरस्तनीय है।

41– अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग आर्डर की तारीफ में नहीं आता है उक्त निर्णय में प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, लिखित बहस को ही ताईद किया गया है, बाकी आदेश 4 लाईन में बिना कानूनी नजीरों का अवलोकन किये हुए पारित किया गया है इसलिए उक्त निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण है।

42– अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में आपरेटिव पोर्शन में यह कथन स्वीकार किया है कि किसी भी वाद की सुनवायी उपरान्त अन्तिम रूप से विनिश्चत किया जा चुका हो तो नया वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है किन्तु उक्त वाद जो पूर्व में डिक्री किया गया था जो अन्तिम रूप से विनिश्चत नहीं हुआ था इसलिये उक्त सिद्धांत यहां लागू नहीं होता था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर जो निर्णय पारित किया है वह काबिले निरस्तनीय है।

43– अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.04.2022 निरस्त किया जावे तथा आर्डर 7 नियम 11

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सी पी सी का प्रार्थना पत्र भी खारिज करते हुए अपीलांट वादी का वाद नियमानुसार तनकीयात उपरान्त पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध कर गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

44— अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

45— अपील में अभिभाषक अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 जा0 दी0 पेश किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल परिवाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला बारां दिनांक 02.04.2015, नकल इकरारनामा दिनांक 20.05.2007, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बालाखेड़ा, नकल जमाबंदी ग्राम बालाखेड़ा संवत 2074—2077, नकल जमाबंदी ग्राम बालाखेड़ा संवत 2066—2069, अप्रमाणित दस्तावेजात पेश किये।

46— जिसके जवाब में अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा जवाब लिखित प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 जा0 दी0 पेश किया। जिसमें उन्होंने कथन किया कि राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के तहत न्यायालय की अनुमति से मूल प्रति नहीं मिलने पर साक्ष्य में ग्राह्य की जा सकती है। फोटो प्रति मात्र अनावश्यक पत्र है जिन्हें साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता।

47— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में कथन किया कि अपीलांट/वादी का अपील का चरण नं. 1 निरर्थक है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने पारित निर्णय दिनांक 06.04.2022 विधि अनुकूल पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है ऐसी सूरत् में अपील अपीलाट खारिज योग्य है। अपीलांट का वाद संख्या 169/2014 अन्तर्गत धारा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

53, 88, 89, 92(ए), 188 आर टी एक्ट का विरूद्धे रेस्पोडेंट 1 लगायत 5 के विरूद्ध पेश किया जिसका रेस्पोडेंट ने आर्डर 7 रूल 11 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट का वाद किसी भी सूरत में मेंटेनेबल नहीं है, खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का आर्डर 7 रूल 11 सी पी सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट का वाद संख्या 169/2014 दिनांक 06.04.2022 को खारिज कर दिया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अपीलांट ने अपने अपील की मद नं. 3 में यह तथ्य स्वीकार किए हैं कि पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.1970 प्रकरण संख्या 164/1970 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने पूर्व समान प्रकरण में जारी की गई थी। इस प्रकरण में अपीलांट राजस्व रेकार्ड में सहखातेदार नहीं था। इस बाबत सम्वत 2015–2024 को जमाबंदी में रेस्पोडेंट प्रतिवादी के पिता शांतिलाल मुतबन्ना जुगल किशोर ग्राम बालाखेडज्ञ की कुल किता 34 रकबा 32.69 हेक्टर भूमि का खातेदार दर्ज था। शांतिलाल की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेंटगण विधिक वारिस राजस्व रेकार्ड दर्ज हैं। अपीलांट राजस्व रेकार्ड में भी वर्तमान में सहखातेदार नहीं है और पूर्व में भी सहखातेदार नहीं था। अपीलांट सहखातेदार नहीं होने से निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.1970 की पालना नहीं हुई। दिनांक 29.05.1970 निर्णय व डिक्री डिफेक्टिव डिक्री थी जो विधि विपरीत थी। अपीलांट ने पूर्व प्रकरण संख्या 164/1970 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के निर्णय दिनांक 29.05.1970 की डिक्री की जेरोक्स पर नया वाद संख्या 169/2014 जो 44 वर्ष बाद नया वाद समान धारा में समान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता के यहां पेश किया, जपूर्णरूपेण मियाद बाहर है क्योंकि पूर्व निर्णय व डिक्री की पालना अन्दर मियाद 12 वर्ष में होनी चाहिए थी जो अपीलांट के हक में नहीं हुई। क्योंकि दिनांक 29.05.1970 की डिक्री डिफेक्टिव एवं प्रभावहीन थी। अपीलांट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अन्ता के यहां वर्ष 2014 में यानी 44 वर्ष बाद पूर्व निर्णय दिनांक 29.05.1970 की डिक्री की फोटोप्रति पर नया वाद संख्या 169/2014 पेश किया जो पूर्णरूपेण मियाद बाहर है। अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है। अतः खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में निम्न नजीरे पेश की –

1– आर एल आर 1991(1) पेज 279,

2– आर एल डब्ल्यू 2015 (1)

3– आर जे (एच सी) पेज 186,

4– 2005 (2) आर आर टी पेज 1305 एच सी,

5– 2017(3) डी एन जे एस सी पेज 800,

6– डी एन जे 2019(2) एस सी पेज 337

7– आर बी जे 2016 पेज 637

8– आर आर डी 2010 पेज 737

9– डी एन जे 2018 (राज.) पेज 114

10– आर. आर डी 2002 पेज 428

11– डी एन जे 2013(राज.) पेज 498

48– अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट मय खर्चा खारिज फरमाई जावे एवं निर्णय दिनांक 06.04.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता जिला बारां बहाल रखने की कृपा करें।

49– अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट/वादी द्वारा एक वाद संख्या 169/2014 बउनवान नरेन्द्र कुमार बनाम प्रदीपव कुमार वगैराह पेश किया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.04.2022 को खारिज कर दिया।

50— अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.04.2022 की अपील अपीलांट द्वारा श्रीमान् के न्यायालय में पेश की गई जिसमें अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद 169/2014 निर्णय दिनांक 06.04.2022 की पत्रावली अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब की गई जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली संख्या 169/2014 भेंज दी गई है जो अपीलीय पत्रावली के साथ सलंग्न है।

51— अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा एक अन्य वाद संख्या 164/1970 उपखण्ड अधिकारी बारां में पेश किया गया थ, जिसका निर्णय दिनांक 29.05.1970 को किया गया था जिसकी अपीलांट द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई।

52— अपीलांट/वादी द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 29.05.1970 की जेरोक्त की प्रति के आधार पर नया वाद संख्या 169/2014 समान धारा में उपखण्ड अधिकारी अंता के यहां पेश किया गया था, जिसमें रेस्पोडेंत द्वारा ऑर्डर 7 रूल 11 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि संबंधित प्रकरण में समान धारा, समान न्यायालय, पूर्व प्रकरण संख्या 164/1970 दिनांक 29.05.1970 को निर्णित हो चुका है। अब अपीलांट/वादी पुनः नया वाद उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के यहां पेश नहीं कर सकता है। इस आधार पर उपखण्ड अधिकारी, अन्श्रता ने रेस्पोडेंट/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सी पी सी स्वीकार करते हुए एवं रेसज्यूडिकेटा के आधार पर नया वाद संख्या 169/2014 खारिज कर दिया।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

53– अपीलांट वादी द्वारा पेश अपील संख्या 74/2022 में प्रकरण संख्या 164/1970 में निर्णय दिनांक 29.05.1970 की जेरोक्त प्रति पेश की, प्रमाणित प्रति पेश नहीं की हुई है।

54– अपीलांट/वादी द्वारा पूर्व प्रकरण संख्या 164/1970 में निर्णय दिनांक 29.05.1970 जो उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा पारित किया गया था। जिसकी अपील अपीलांट/वादी द्वारा आज दिन तक भी पेश नहीं की गई है। अपीलांट/वादी द्वारा केवल मात्र प्रकरण संख्या 169/2014 में निर्णय दिनांक 06.04.2022 के विरूद्ध अपील पेश की है, जिसकी पत्रावली अपीलीय न्यायालय की अपीलीय पत्रावली के साथ सलंग्न है।

55– अपीलांट/वादी द्वारा प्रकरण संख्या 164/1970 में निर्णय दिनांक 29.05.1970 को उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा पारित किया गया है जिसके निर्णय की पालना नहीं हुई थी। अपीलांट को अपील पेश करना चाहिये था जो अपीलांट द्वारा पेश नहीं की गई है और अपीलांट/वादी द्वारा 44 वर्षों बाद नया वाद 169/2014 उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के यहां पेश किया जो लिमिटेशन एक्ट की आर्टिकल 136 के प्रावधानों के विपरीत होने से व रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांतों के आधार पर अपीलांट/वादी का वाद संख्या 169/2014 में निर्णय दिनांक 06.04.2022 को अपीलांट/वादी का वाद खारिज कर दिया गया है जिसकी अपील श्रीमान् के न्यायालय में अपील संख्या 74/2022 जैरकार है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड आ चुका है । इसी में ही अपीलीय न्यायालय को पेश अपील में ही निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है।

56– अतः रेस्पोडेंट/प्रतिवादी का जवाब पेश कर निवेदन है कि अपीलांट/वादी द्वारा निर्णय की जेरोक्स प्रति दिनांक 29.05.1970 साक्ष्य में अधिग्रहण करने योग्य नहीं है क्योंकि प्रति जो पेश की गई है

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वह एविडेंस एक्ट की धारा 65 के प्रावधानों के विपरीत है। जिसके आधार पर न्यायालय अवधारणा नहीं कर सकता। अतः अपीलांट/वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2023 काबिल निरस्तनीय योग्य है।

57– हमने अभिभाषकगण उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया ।

58– अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी प्रार्थना पत्र न्याय हित में स्वीकार किया जाता है।

59– उपखण्ड अधिकारी, बारां के पत्र कमांक–रेकार्ड/राजस्व/2014/1402 दिनांक 26.12.2014 के द्वारा विषय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

60– उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा जर्ये डाक से आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराने बाबत् प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदन पत्र द्वारा इस कार्यालय की पत्रावली संख्या 164/70 उनवानीं श्रीमती रतनकंवर बनाम शांतिलाल, विजयकुमार, नरेन्द्र कुमार पुत्र देवीशंकर निर्णय दिनांक 29.05.1970 के डिकी के फैसले की प्रमाणित छायाप्रति चाही गई है। उक्त संबंध में पत्रावली को कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड में तलाश किया गया। उक्त पत्रावली कार्यालय के रेकार्ड में उपलब्ध नहीं होना पायी गयी है। पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से प्रमाणित छायाप्रति दिया जाना संभव नहीं है।

61– निर्णय दिनांक 29.05.1970 में जिस फैसले के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आर्डर 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगणों के द्वारा प्रस्तुत केवल अप्रमाणित छाया प्रति के आधार पर स्वीकार करवाया गया।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

62– अधीनस्थ न्यायालय में वकील प्रतिवादीगण के द्वारा कोई प्रमाणित दस्तावेज पत्रावली संख्या 164/70 से सम्बन्धित पेश नहीं किये गये। उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने पत्र दिनांक 26.12.2014 में पत्रावली का कार्यालय के रेकार्ड में उपलब्ध होना नहीं बताया गया। यदि पत्रावली संख्या 164/70 निर्णय दिनांक 29.05.1970 फैसल हुई तो उसकी प्रमाणित प्रति अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा क्यों उपलब्ध नहीं करवायी गयी तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद क्यों नहीं करवाया गया।

63– उपखण्ड अधिकारी बारां को पत्र कमांक 225 दिनांक 19.10.2022 व 495 दिनांक 20.07.2023 से पत्रावली संख्या 164/70 उनवानी श्रीमती रतनकंवर बनाम शांतिलाल, विजयकुमार, नरेन्द्र कुमार पुत्र देवीशंकर निर्णय दिनांक 29.05.1970 चाही गई थी किन्तु आंदिनांक तक उक्त पत्रावली इस न्यायालय को नहीं भिजवाई गई है।

63– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.04.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत रूप से प्रकरण में निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.09.2023 को उपस्थित होवें।

64– निर्णय आज दिनांक 24.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/7/2023
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा